बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–27/2017

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 के छात्र/छात्राओं के प्रवेश पत्र (Admit Card) में उनके परीक्षा का विषय/लिंग/कोटि (Compartmental / Ex-Student)/फोटो/हस्ताक्षर एवं पूर्ववर्ती परीक्षार्थी का पंजीयन संख्या इत्यादि में सुधार ऑनलाईन करने हेतु दिनांक– 27.02.2017 तक अंतिम मौका।

एतद् द्वारा राज्य के माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विद्यालय प्रधान/परीक्षार्थी/अभिभावक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 के लिए छात्र/छात्राओं का विवरण त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने के कारण निर्गत प्रवेश पत्र में त्रुटि पायी जाती है तो विद्यालय अभिलेख के आधार पर छात्र/छात्रा का नाम एवं पिता का नाम छोड़कर शेष विवरणी यथा माता का नाम/जन्मतिथि/लिंग/कोटि (Compartmental / Ex-Student)/निःशक्ता कोटि/धर्म/परीक्षा का माध्यम/परीक्षा विषय में ऑनलाईन सुधार करने हेतु दिनांक–26.02.2017 से 27.02.2017 तक संबंधित विद्यालय के प्रधान को अंतिम रूप से एक और मौका दिया जाता है। छात्र/छात्रा का नाम एवं पिता के नाम में हुई त्रुटि के निवारण हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यालय के संगत अभिलेख के आधार पर विद्यालय प्रधान को ऑनलाइन संशोधन करने का अवसर दिया जायेगा।

1. पूर्ववर्ती/बेटरमेन्ट/कम्पार्टमेन्टल/एकल विषय अंग्रेजी के कतिपय परीक्षार्थी के online परीक्षा आवेदन संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा गलत भरने के क्रम में छात्र/छात्रा का विवरण समिति अभिलेख से मिलान (Match) नहीं होने की स्थिति में वैसे छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र स्थगित (with-held) रखा गया है।
2. संबंधित विद्यालय प्रधान वैसे छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व में प्रसारित विज्ञप्ति संख्या 01/2017 के अनुपालन में समिति द्वारा पूर्ववर्ती/बेटरमेन्ट/कम्पार्टमेन्टल/एकल विषय अंग्रेजी के लिए कंडिकावार दिये गए निर्देश के आलोक में दिनांक–27.02.2017 को अपराह्न 5:00 बजे तक पंजीयन रसीद एवं पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा होने से संबंधित सही विवरणी समिति के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। **इसके अलावा गलत पंजीयन संख्या वाले छात्र/छात्रा के विवरण में बारह (12) Digits वाला सही पंजीयन संख्या अपलोड करेंगे। तत्पश्चात प्रवेश पत्र नियमानुसार ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा।** जिसे विद्यालय प्रधान डाउनलोड कर संबंधित छात्र/छात्रा को प्रवेश पत्र अपने हस्ताक्षर/मोहर के साथ देंगे।
3. ऑनलाइन पंजीयन आवेदन में छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एवं जन्मतिथि आदि में विद्यालय के अर्न्तगत Duplicacy रहने के कारण संबंधित छात्रों का पंजीयन एवं प्रवेश पत्र स्थगित रखा गया है। **यदि किसी छात्र का भूलवश दो पंजीयन संख्या के आधार पर दो परीक्षा आवेदन भरा गया हो, तो उसमें से एक Incorrect विवरण को Delete करेंगें ताकि परीक्षार्थी को एक ही वैध प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सके। पंजीयन में Duplicacy संबंधित त्रुटि के निवारण हेतु विद्यालय प्रधान ही जवाबदेह होंगे।**
4. जिन छात्र/छात्राओं का फोटो एवं हस्ताक्षर अब तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में अपलोड नहीं हो पाया है, विद्यालय प्रधान संबंधित छात्र/छात्रा का फोटो एवं हस्ताक्षर समिति के वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
5. जिन छात्र/छात्राओं के प्रवेश पत्र पर किसी दूसरे छात्र/छात्रा का फोटो अपलोड हो गया हो या किसी दूसरे छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर अपलोड हुआ हो तो इस संदर्भ में विद्यालय प्रधान संबंधित छात्र/छात्रा का वास्तविक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
6. वैसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा गया है, परन्तु शुल्क का चालान जेनरेट नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हुआ है, विद्यालय प्रधान **Make payment option** में जाकर चालान जेनरेट कर निर्धारित शुल्क राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। चालान के आधार पर समिति द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा।
7. **वैसे पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा जिनके प्रवेश पत्र में कोटि (Compartmental/Ex- Student), लिंग/फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि पाई जा रही हों तो इस संदर्भ में विद्यालय प्रधान अभिलेख के आधार पर ऑनलाईन संशोधन करना सुनिश्ति करेंगे।**
8. **उपर्युक्त सुधार हेतु समिति का पोर्टल www.bsebbihar.com दिनांक 26.02.2017 से 27.02.2017 के अपराहन् 5 बजे तक खुला रहेगा।**
9. छात्र हित में उनके प्रवेश पत्र आदि में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। ऑनलाईन संशोधन नहीं किये जाने के स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे।
10. उपरोक्त के अनुसार ऑनलाईन संशोधन करने के 24 घण्टे के बाद संशोधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा ताकि संबंधित विद्यालय प्रधान उसे डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर/मोहर के साथ संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध करा देंगे।

परीक्षा नियंत्रक(मा॰)